JALAUN POLICE

दिनांक– 19.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या के अभियोग में 06 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी सौरभ सिंह पुत्र स्व0 उदय नारायण नि0ग्राम चावनपुरा थाना एट जनपद जालौन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के भाई का अपहरण किया गया था जिसके संबन्ध में दिनांक 24.07.2013 को थाना एट पर मु0अ0सं0 675/13 (वाद संख्या 57/13) धारा 364ए/120बी/34 भादवि व 11 यूपीडीए एक्ट बनाम 01- प्रीतम जमादार पुत्र कालका प्रसाद जमादार 02- नीरज वाल्मीकि पुत्र कैलाश वाल्मीकि नि0गण ग्राम रिछरा फाटक कोतवाली दतिया मध्य प्रदेश 03- संदीप कुमार 04- प्रदीप कुमार पुत्रगण रामचन्द्र तिवारी नि0 नवीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 05- मुहम्मद इकबाल पुत्र मो0 हुसैन नि0ग्राम बेहटा कोतवाली घाटमपुर जनपद कानपुर नगर 06- उमेश कुमार मिश्रा पुत्र दिनेश कुमार मिश्रा नि0ग्राम जौरा थाना मोठ जनपद झांसी हाल पता पेट्रोल पैम्प के सामने थाना एट जनपद जालौन 07- (मृतक) बाल किशन पुत्र देव सिंह कुशवाहा नि0ग्राम सिवड़ा चुंगी के पास कोतवाली दतिया जनपद दतिया मध्य प्रदेश 08- छुट्टू उर्फ दादा उर्फ इसरार खां पुत्र इस्माइल खां नि0ग्राम तलैया कोतवाली शहर जनपद दतिया मध्य प्रदेश 09- दीपक उर्फ दिनेश सिंह उर्फ मीना बउआ पुत्र भिखम सिंह नि0ग्राम कुरारी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना एट पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 13.10.2013 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 01. प्रीतम जमादार 02. संदीप कुमार 03. प्रदीप कुमार 04. मुहम्मद इकबाल 05. उमेश कुमार मिश्रा 06. दीपक उर्फ दिनेश सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा 01.नीरज वाल्मीकि 2. छुट्टू उर्फ दादा उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया है। कुल अर्थदण्ड की आधी धनराशि प्रतिकर स्वरुप पीडित को प्रदान किया जायेगा।